उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग
संख्या /VI-2/2013- 82 (45)/2014
देहरादून, दिनांकः 16 सितम्बर 2014

विज्ञप्ति

राज्यपाल, ललित कला के क्षेत्र में अध्ययनरत, विद्यार्थियों को, जिनकी रूचि ललित कलाओं की ओर है, फाईन आटर्स की किसी भी शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किये जाने हेतु आर्थिक सहायता/वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु "ललित कला शिक्षा निधि " की स्थापना किये जाने तथा उसके संचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

शीर्षक 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम–"ललित कला शिक्षा अनुदान निधि व उसका संचालन नियमावली–2014" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषा 2– इन नियमों के लिये जबतक कि अन्यथा अपेक्षित हो।

(1) 'निधि' से "उत्तराखण्ड ललित कला शिक्षा निधि" अभिप्रेत है।

(2) 'समिति' से, निधि की व्यवस्था प्रबन्धन एवं अनुदान दिये जाने हेतु नियमों के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

(3) योजना से ललित कला के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने हेतु अनुदान योजना अभिप्रेत है।

निधि की स्थापना व स्रोत 3– (1) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार "ललित कला शिक्षा अनुदान निधि" ज्ञात नाम से एक निधि की स्थापना करेगी।

(2) प्रारम्भ में निधि सुश्री संगीता गुप्ता, पृथ्वी फाईन आर्ट एण्ड कल्चरल सैन्टर, सी–4, टावर–10, एन0बी0सी0सी0, काम्पलैक्स, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली द्वारा दी गई धनराशि ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख) की धनराशि से स्थापित की जायेगी। योजना के सफल संचालन के उपरान्त वर्ष 2014 से राज्य सरकार द्वारा मैचिंग ग्रान्ट दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा इसी वर्ष से निधि से प्राप्त ब्याज की धनराशि में से अनुदान दिया जायेगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार को निधि की धनराशि बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार होगा।

(3) निधि के अन्य स्रोत निम्नलिखित होंगे–

(क) केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से उक्त योजना हेतु स्वेच्छा से दिया गया धन।

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त उक्त योजना हेतु अनुदान।

(ग) योजना हेतु अन्य स्रोत से नियमानुसार प्राप्त किया गया अनुदान/दान/ आर्थिक सहायता।

निधि का उद्देश्य

4– निधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(क) प्रदेश के ललित कला (फाइन आर्टस) के क्षेत्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों जिनकी रूचि ललित कलाओं की ओर है, फाइन आटर्स की किसी भी शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री हेतु ललित कला शिक्षा अनुदान दिये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था करना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की प्रतिभा को योजना के अन्तर्गत बढावा मिले एवं प्रतिभा का पलायन न हो।

अनुदान हेतु पत्रता

5– 5–(1) प्रदेश के मूल/स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही उक्त अनुदान देय होगा।

5(2) योजना के अन्तर्गत अनुदान 18 से 22 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को देय होगा।

5(3)यह अनुदान प्रदेश के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं यथा–दिल्ली कालेज ऑफ आर्ट, आर्ट कालेज, लखनऊ, शान्ति निकेतन में अध्यनरत् तथा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के स्नातक/स्नात्कोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को देय होगा।

अनुदान दिये जाने हेतु चयन

6(1) अनुदान दिये जाने हेतु निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। उसके आधार पर प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6(2) चयनित लाभार्थियों में कम से कम एक छात्रा (महिला) को चयनित किया जाना आवश्यक होगा।

6(3) ललित कला शिक्षा अनुदान निधि से प्रत्येक वर्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि के अन्तर्गत ही चयन समिति द्वारा अनुदान की धनराशि एवं विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

6(4) अनुदान की धनराशि एवं कितने विद्यार्थियों को वर्ष में अनुदान दिया जायेगा का निर्णय 'चयन समिति' द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

6(5) चयनित विद्यार्थियों को अनुदान चयन वर्ष से अन्तिम वर्ष तक के अध्ययन (पूरी पढ़ाई तक) के लिए देय होगा।

निधि का प्रशासन

सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन निधि के प्रशासकीय विभाग तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, निधि के विभागाध्यक्ष होंगे।

वित्तीय अधिकार 6– निदेशक संस्कृति, निदेशालय निधि के स्वीकृत प्राधिकारी होंगे। निधि से धनराशि की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धित

शासनादेश संख्या 562/XXVII(7)/2010 दिनांक 24 मई, 2010 एवं समय–समय पर उसमें किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

निधि का प्रबन्धन एवं चयन समिति का गठन

निधि की व्यवस्था, प्रबन्धन एवं अनुदान हेतु छात्रों के चयन के सम्बन्ध में चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी।

1– सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन। अध्यक्ष
2– अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरखण्ड शासन। सदस्य
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
4– निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड। सदस्य सचिव
5– कुमाऊं विश्विद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से कला संकाय के विभागाध्यक्ष सदस्य
6– प्रदेश में ललित कला से जुड़े ख्यातिलब्ध 03 (तीन) महानुभाव सदस्य
7– सुश्री संगीता गुप्ता, पृथ्वी फाईन आर्ट एण्ड कल्चरल सैन्टर, सी–4, टावर–10, एन0बी0सी0सी0, काम्पलैक्स, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली। सदस्य

गठित समिति की बैठक हेतु अध्यक्ष के अतिरिक्त 03 सदस्यों तथा कम से कम 03 विशेषज्ञ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वर्ष में कम से कम एक बार समिति की बैठक बुलाई जायेगी। किन्तु अध्यक्ष आवश्यकता को देखते हुए जब भी आवश्यक समझें, बैठक बुलाई जा सकती है। समिति की बैठक में समस्त निर्णय बहुमत से किये जायेंगे।

निधि की धनराशि का निवेश 8– (1) निधि की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंको की सावधिक जमा योजना, डाकघर योजनाओं, जो डाकघर की सबसे लाभकारी योजना हो, में जमा किया जा सकेगा। निधि से प्राप्त ब्याज को खाते में जमा किया जायेगा। उक्त निवेश से होने वाली आय /लाभ से व्यय वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मूलधन की धनराशि को यथावत् रखा जायेगा और मूलधन से कोई व्यय नहीं किया जायेगा। प्राप्त ब्याज की धनराशि में से चयनित लाभार्थियों को अनुदान दिये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(2) ललित कला शिक्षा निधि (कारपस फण्ड) की धनराशि से प्राप्त ब्याज से अनुदान भुगतान किया जायेगा।

(3) निधि से प्राप्त ब्याज से समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को ही धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।

चयन समिति के सदस्यों को देय धनराशि 9– चयन समिति के सदस्य/अधिकारी चयन समिति के सदस्य/अधिकारी होने के नाते किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के रूप में किसी धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

कर्मचारियों का प्राविधान 10– निधि का संचालन/कार्यों का सम्पादन संस्कृति विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन–भत्ता अथवा पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

लेखा एवं लेखा परीक्षा 11– निधि की समस्त धनराशि का नियमित लेखा अभिलेख रखा जायेगा एवं विधिवत् लेखा परीक्षण कराया जायेगा तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 12– यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक व समीचीन हो।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्याः– 368(1)/VI-2/2013-82(45)/2014 तद्दिनांकित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. कुलपति, हे0न0ब0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय/कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल।
10. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखाण्ड, देहरादून।
11. सुश्री संगीता गुप्ता, पृथ्वी फाईन आर्ट एण्ड कलचरल, सैंट सी–4, टावर–10, एन0बी0सी0सी0, काम्पलैक्स, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को सरकारी गजट असाधारण के विधायी पिरिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करते हुये इसकी 100 प्रतियां शासन के उपलब्ध कराने कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव